

क्र. 35149

भारतीय नैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 210149


न्यास-पत्र

श्री. अशोक



यह न्यास-विलेख आज दिनांक-01-11-2014 को अम्बेडकरनगर में हाजीर सिद्ध (सहिलाल) तन्वी की इस प्रजापति सिद्ध निवासी ग्राम-प्रतापपुर, ब्लॉक-कटेरी, जन्म-अम्बेडकरनगर, UP द्वारा माना गया है। जिसे न्यासीकर्ता/सम्भावक द्वारा जारी किया गया है। न्यासकर्ता संख्यापत्र 50-5,000/- (पाँच हजार रुपये) की राशि में न्यायिक कार्य हेतु प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। न्यासीकर्ता/सम्भावक द्वारा जारी की गई असाध्य न्यास करने हेतु इच्छा है, जो कि यथानुसार एवं विशेष रूप से दिनांक एवं न्यास के क्षेत्र में कार्य करेगा। इस दस्तावेज का न्यासकर्ता वैलिडिग द्वारा होगा, न्यासकर्ता/सम्भावक को यह भी इच्छा है कि यह विनियम भीतर से प्राप्त उपकरण, जहाँ जहाँ प्राप्त होगा, जिससे दस्तावेज करने में प्रभावी रूप से सञ्चालन हो सके।

श्री. अशोक



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 290151

(B)

- 1- अधिष्ठित की शीर्ष में शीर्ष कार्य हेतु किन्हीं व्यक्ति या विधित्तों संस्थान का विधिकारण, सविधानों को स्थापना देना या हान देना ।
- 2- ऐसे सभी कार्य को करना जिसमें विधानों की विधिकारण होती हो ।
- 3- यदि वे कार्य खरीद कर इम्प्लेंट एवं विचार सेंटर, डिप्लेन्सरी, नॉसिंगर, सैटलमेंटेशन को स्थापना करना तथा इस कार्य हेतु सहाय करना ।
- 4- निवृत्त नव विधिकारण सहायता विधि, एडवोकेट जनरलता विधि, निवृत्त विधि, सहायन विधि विधि का अंगीकार करना ।
- 5- इन्ट द्वारा प्रथमिक से उच्च स्तर तक की शिक्षा स्थापना करना ।
- 6- इन्ट द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी भाषाओं के माध्यम से छात्रों को सहाय करने का कार्य की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं इसका अंगीकार एवं प्रवर्ध करना ।
- 7- इन्ट द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विद्यालय, सहायकालय आदि का स्थापना एवं प्रवर्ध करना ।
- 8- इन्ट द्वारा शैक्षिक और शैक्षिक कार्य-विधियों के लिए निवृत्त शैक्षिक की व्यवस्था करना एवं निवृत्त पोषण एवं प्रवर्धना देना ।
- 9- इन्ट द्वारा शैक्षिक एवं शैक्षिक विद्यालय आदि का स्थापना एवं प्रवर्ध करना ।
- 10- इन्ट द्वारा शिक्षा के प्रति पूर्ण सहाय, जगन शैक्षिक उद्योग सहायता सहायता विधिकारण को स्थापना बनाने में सहायता का सहायता करना ।
- 11- इन्ट द्वारा शैक्षिक शैक्षिक एवं सामाजिक सहाय के द्वारा हेतु अन्तर्गत दुर्लभों का सहायता करना तथा इसका प्रवर्धन से लोगों में जागरूकता का सहाय करना ।
- 12- इन्ट द्वारा विद्यालय परिवार में युवक/युवतियों एवं बालक/बालिकाओं के लिए शैक्षिक सहायता तथा सहायता की सहायता को सहायता करने का प्रवर्ध करना ।

शशी सिंह



भारतीय गैर न्यायिक

₹ 50

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 290152

- 18- इसका इलाक़ेदारों को पत्र-व्यवस्था के लिए विद्यालयों में प्रसारित करना।
- 19- इसका इलाक़ेदारों को पत्र-व्यवस्था करना तथा पत्र-व्यवस्था संभालना।
- 20- इसका इलाक़ेदारों को पत्र-व्यवस्था का सामाजिक, मानसिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास करना।
- 21- इसका इलाक़ेदारों को पत्र-व्यवस्था का सामाजिक, मानसिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास करना।
- 22- इसका इलाक़ेदारों को पत्र-व्यवस्था का सामाजिक, मानसिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास करना।
- 23- इसका इलाक़ेदारों को पत्र-व्यवस्था का सामाजिक, मानसिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास करना।
- 24- इसका इलाक़ेदारों को पत्र-व्यवस्था का सामाजिक, मानसिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास करना।
- 25- इसका इलाक़ेदारों को पत्र-व्यवस्था का सामाजिक, मानसिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास करना।
- 26- इसका इलाक़ेदारों को पत्र-व्यवस्था का सामाजिक, मानसिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास करना।
- 27- इसका इलाक़ेदारों को पत्र-व्यवस्था का सामाजिक, मानसिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास करना।
- 28- इसका इलाक़ेदारों को पत्र-व्यवस्था का सामाजिक, मानसिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक विकास करना।


शशी सिंह



भारतीय नैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50

FIFTY
RUPEES
Rs. 50



INDIA NON JUDICIAL

सत्य प्रेम UTTAR PRADESH

AE 290156

(8)

- ७०- एतद् द्वारा सभी जगति एवं के समीची की सामग्रीया और सीधिका कार्य को सकारा देना राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त परिशोधनाओं का संकलन व सहायिक करना तथा राष्ट्रीय संस्थाओं पर्यटन/विद्यार्थ परिशोधनाओं के कार्यक्रमों को संघटित करना।
- ७१- एतद् द्वारा विज्ञान पर्यावरण दिवस का आयोजन करना तथा प्रायु प्रदूषण पाठ प्रसारण आदि साधन का निर्यात एवं विज्ञान-निर्देशन एवं प्रचार-प्रसार एवं संवर्धन करना। प्रदूषण रहित परिशोधनाओं को प्रवर्धन दिनीय एवं संघटित करना बाह्य/मुक्त प्रभावित क्षेत्रों/क्षेत्रों की सहाय करना।
- ७२- एतद् द्वारा सरकारी/अर्द्ध सरकारी/अनियंत्रित क्षेत्री/विदेशी परिशोधनाओं का निर्माण संकलन संवर्धन प्रवर्धन परामर्श सुनिश्चित निर्यात अनुसंधान विज्ञान कार्यन्वयन क्रियान्वयन अनुसंधान आदि का कार्य करना।
- ७३- एतद् द्वारा सभी के अधिकार संरक्षण में सहाय के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन व समर्थन करना जिसमें प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक स्वास्थ्य पोषण स्वच्छ वातावरण आवास व्यवस्था तथा सान्दी वातावरण एवं सुखा का साहित्य प्रचार करने का सुदूर प्रयासों का आयोजन करना।
- ७४- एतद् द्वारा सभी जगति एवं के समाजमता जैदियों/आजीवन वातावरण के सिद्धि के प्रतिष्ठान सार को हींच सुखी व सभाएं में पुनर्स्थापना व सहायताओं बनाने हेतु सभी प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी प्रशिक्षण स्वास्थ्य सुविधा व सुसंगत के कार्यक्रमों का संचालन व संवर्धन करना।
- ७५- एतद् द्वारा सभी क्षेत्री व अन्त सरकारी/अर्द्ध सरकारी/वैय सरकारी कार्य/कार्यक्रम/परिशोधनाओं का एवं सहाय करने द्वारा जारी सभी कार्य/परिशोधनाओं के प्रवर्धन, कार्यन्वयन, क्रियान्वयन, अनुसंधान, मुद्रांतरण, विभा, साहित्य, विभा, सर्वे के कार्य का संचालन व मार्गदर्शक के रूप में

शशी प्रेम



भारतीय नैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 290157

(b)

- समान कानून तथा कार्यपालक विभाग पीछी का आयोजन व संस्थापन करने, अनुसूची अधिकाओं व मैदानियों के सहयोग को उपलब्ध कराना।
- 62- इसके द्वारा मानव कानून को शिक्षा, पीपल, आवास, स्वास्थ्य एवं परिवारन जैसे अत्यावश्यक आवश्यकताओं का सुनिश्चन संस्थापन तथा सुनिश्चन प्रति प्रारम्भिकता को सभी संस्थापन का उपयोग करना।
- 63- इसके द्वारा समाज में पीछी कुरीतियों, स्त्रियाँ पीछी, अन्धविश्वासों को समाप्त करने हेतु प्रचार-प्रसार का आयोजन करना।
- 64- इसके द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों तथा पर्यावरणीय संस्थापन के क्षेत्र को उपयुक्त नीति से निर्धारण में सहयोग करना तथा विकास को, संस्थापन एवं प्रारम्भिकता के संस्थापन हेतु बहुपक्षीय समुदायिक भवन आदि का निर्माण एवं रख-रखाव व प्रबंधन करना।
- 65- इसके द्वारा सभी देशी व अन्य सरकारी अर्थ-सहायक विभागों, व्यक्ति/कारिगरीयों तथा सभी संस्थापनों से परिचोयना सम्बन्धी सहयोग व परामर्श प्राप्त करने का कार्य तथा संस्थापन व प्रबंधन करना तथा मंडल-परिचोय के रूप में कार्य-संस्थापन क्रियान्वयन अनुभवता व संस्थापन का कार्य करना।
- 66- इसके द्वारा विद्युत्, पीछी अधिन्यायी सेवा एवं विमान सेवा, सार्वजनिक विद्यालय, स्कूलों की स्थापना व संस्थापन करना।
- 67- समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला समाज सेवा विभाग, सुनिश्चन, पुरातन-संस्थापन, कानून, भूमि-संस्थापन, विद्यापीठ, जवाब, न्याय, मानव संस्थापन विभाग, मंडल, विमानों एवं अन्य विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विभाग, इन्डियन कुब, कुब, जलनिष्पन्न, जन संस्थापन, खादी संस्थापन, पीछी, खादी संस्थापन आयोग से सभी प्रकार की परिचोयनाओं/कारिगरीयों को प्राप्त करना।

शशी सिंह



भारतीय नैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राज्य प्रदेश UTTAR PRADESH

NE 290158

(10)

- 34- दस्त द्वारा उपरोक्त संख्या हेतु काली अधिकाई का प्रय-यम हेतु बात चर्चामे हेतु काली कार्यलयी का प्रय-उसार करना।
- 35- सभी व किसानों, मजदूरों, शिक्षित बेरोजगार, ससुराली व महिलाओं को जस्त पास, कचराली पालन तथा पशुपालन का प्रशिक्षण देना एवं काली स्वरोजगार सम्पत्ती संस्था कार्यलयी को बनाना तथा बनाने की तकनीकी जलजाली उपलब्ध कराना एवं सार्व-पालन की विस्तार का लिए तकनीकी शक्ति करना।
- 36- जाली समीक्षा बोर्ड, जाली समीक्षण आयोग, जाली जाली केन्द्र एवं जाली कार्यलय तथा केन्द्र सरकार के द्वारा सहायित सम्पत्ती एवं काली की स्थापना करना।
- 37- दस्त द्वारा उपरोक्त संख्या हेतु किसानों की सुविधा के लिए सम्पत्ती गुरु जाली की सुविधा उपलब्ध कराना व काली संबंधित एवं प्रबंधन करना।

दस्त का विनिर्देश-

दस्त का कार्यलयी सम्पूर्ण विद्य-शिक्षा तथा सलाहिक सलजाल हेतु काली की काली एतु व काली काली से सम्पत्ती एवं काली प्रय-यम हेतु सलजा ही काली सम्पत्ती व-सय व सलजा है, किन्तु दस्त का मुख्य कार्यलयी सलजा में ही होगा।

2- दस्त के धन का विनिर्देश-

- 1- दस्त के धन का विनिर्देश आकार की राशि-1000 से अधिक/सुका होगा।
- 2- काली जाली की सुविधा के लिए-काली सलजा हेतु एवं काली काली, काली सलजा व काली, काली शक्ति व काली शक्ति धन सेवा व काली जाली अधिकाई व काली निर्माण करना, काली काली, काली धन सेवा व काली, काली सम्पत्ती काली एवं काली सम्पत्ती काली ही काली काली।
- 3- दस्त के जाली की सुविधा हेतु काली-काली के धन व काली काली काली का काली काली काली से काली या काली धन या काली सम्पत्ती काली काली।

शशी सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

संक्र प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 290157

- 1- टाइट के अर्थों की पूर्ति हेतु टाइट की किसी भी भाग या अंश का अंश-विभाज्य प्रथम दृष्टिकोण, विनियम, अंश, दृष्टि कोण पट्टे, किसी या किसी की शक्ति से अंतरण में अन्य।
- 2- अपने अंश का कार्य हेतु टाइट की शक्ति का विनियम अंश जो टाइट एवं टाइट के अंशों में शक्ति में ही, अंतरण, जलकारी हो।
- 3- टाइट संज्ञक
 - 1- टाइट का एक स्वामी सम्बन्ध होगा।
 - 2- टाइट में नमिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति की आवश्यकता अनुसार की जा सकती है।
 - 3- टाइट के महाधिकारी के मृत्योपरन्तु अथवा ऐसी अवस्था जिसमें वे कार्य एवं कार्य तथा उसके परिणाम को न समझ सकें, से शक्ति होने पर अथवा अन्य मामलों पर महाधिकारी अथवा उनके द्वारा मृत्यु पूर्व नमिष्ठ व्यक्ति ही उनके कार्य पर नियंत्रित टाइट/मैनेजर की सहमति से ही नियुक्त किया जायेगा।
- 4- टाइट के अर्थों की पूर्ति हेतु किसी स्वामी/गैर सरकारी मण्डल में अथवा किसी विशेष कार्य का हेतु से अन्य होने की दृष्टि में नियंत्रित टाइट/मैनेजर/अथवा/प्रबन्धक/टैलर के समान ही अंतरण द्वारा अंशों की नियुक्ति किया जायेगा।
- 5- टाइट के स्वामी अथवा अन्य एवं नमिष्ठ सदस्यों की नियुक्ति नियंत्रित टाइट/मैनेजर के निर्णय से ही जायेगी।
- 6- किसी की शक्ति पर अंतरण की शक्ति में नियंत्रित टाइट/मैनेजर द्वारा किया ही अन्य होगा।
- 7- टाइट संज्ञक के द्वारा लिये गये सभी निर्णय एवं कार्य का अंश-विभाज्य टाइट के नियंत्रित टाइट/मैनेजर की सहमति से ही अन्य होगा।

शशी सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50

FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA 10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 410591

- (10)
- 9- विवाद स्थानों की सूची :- दफ्तर् सचिव के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पहले अधिसूक्त स्थानों पर अधिकारों का स्थान प्राप्त होने पर उसकी सूची में निम्नलिखित दफ्तरी/मैजिस्ट्रेट के निर्देश से यह दफ्तर् कार्यालय के लिए दफ्तर् सचिव से ले की जाएगी एवं कार्यालय दफ्तरी होने पर उसकी नियुक्ति बस पर पर आवेदन समायोजित किया जायेगा या अन्तर्गत आती है उसकी स्थान पर उसके उपस्थितिवादी अथवा उसके द्वारा सूचित व्यक्ति को नियुक्ति में निम्नलिखित दफ्तरी/मैजिस्ट्रेट के निर्देश से की जाएगी । बॉर्डर जोन दफ्तरी के मैजिस्ट्रेट दफ्तरी/मैजिस्ट्रेट या उस अपने पर पर ले रहे । परन्तु सूची में जो अन्तर्गत आती स्थानों स्थिति होने पर मैजिस्ट्रेट दफ्तरी एवं मैजिस्ट्रेट द्वारा तदवस्थात परिणाम से ही सूचित दफ्तरी के मैजिस्ट्रेट दफ्तरी हो ।
 - 10- दफ्तर् सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-
 - 1- दफ्तरी में दफ्तरी की सूची से आवश्यक कार्य करेगा ।
 - 2- दफ्तरी की वारंट लिस्टें तथा कलम/कराणाम ।
 - 3- दफ्तरी की पर एवं दफ्तरी समायोजित की सुखा करेगा ।
 - 4- दफ्तरी के गोरनों की सूची के लिए हर से कार्य करना जिससे दफ्तरी का काम हो ।
 - 11- विशेष :-
 - 1- मुख्य स्थानों का पर पर निम्नलिखित होगा ।
 - 2- मुख्य स्थानों के लिए कार्य नहीं करेगा ।
 - 12- दफ्तरी के पर अधिकारों के अधिकार व कर्तव्य :-
 - 1- दफ्तरी में मुख्य कार्यालयों के काम में कार्य करेगा ।
 - 2- दफ्तरी एवं दफ्तरी पर इलाका करेगा ।

आशी सिंह



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 410592

(14)

- 1- कर्मचारियों को नियुक्ति, परीक्षण एवं सेवाशुक्ति करना।
- 2- दफ्त के वित्तीय मामलों में नियंत्रण करना।
- 3- दफ्त का कार्यालयी प्रबन्ध देखना।
- 4- भारत सरकार के अन्तर्गत काम को समीक्षादि प्रदान करना।
- 5- दफ्त के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
- 6- दफ्त के बैठकों को सूचना दफ्त के सदस्यों को देना।
- 7- सम्बन्ध विदेशियों, सदस्यों को आम प्रदान करना, वेतन देना, वेतन में वृद्धि एवं कटौती करना जन्मा वन लोगों काय लिए यदि इस नियम जो दफ्त अथवा उसके लिए अधिकारों या अन्तर्गतों को उनके विचारधाम पर रोक लगाना।
- 8- राजस्व, सदस्यों, कर्मचारियों को वसुलिज सौंपना, उनमें कार्यालय एवं वसुलिज में परिवर्तन, परिवर्तन करना।
- 9- दफ्त के जुड़ी प्रयोग कर्मचारियों/सुनिटी प्रिंसिपल, प्रत्येक प्रकार की कर्मचारियों/सुनिटी सम्बन्धित हैं।
- 10- दफ्त के विधि के विषय कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी को विषय अनुशासनानुसार कार्यकारी करना अथवा ऐसा करने की संमति देना।
- 11- सदस्यों के न्यायिक एवं पर लिखे कर्म तथा नये सदस्यों को बनाना।
- 12- न्यायसंबंधी कार्य के वसुलिज का निर्वाह करना।
- 13- दफ्त के सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिए कार्यालयकारी सेवाएँ बनाना।

शशी सिंह

भारतीय नैऋत्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 410593

(18)

- 16- बिना वारं, का संसाधन टुस्टी/वेस्टर/अवका/अवका के हस्ताक्षर से करेगा।
 - 17- टुस्ट के विचारों से धन-अनुदान सेवा, सहायता प्राप्त प्राप्त करना तथा उसकी व्यवस्था करीब देना।
 - 18- का विषय के मुकदमों की रिपोर्ट करना।
 - 19- धन एवं अवका सम्पत्ति की देख-रेख व सुरक्षा करना।
 - 20- सभी प्रकार के बैंकों की व्यवस्था करना।
 - 21- बैंक से शक्ति व्यवस्था करना।
 - 22- बैंकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन करना अनिवार्य करना।
 - 23- टुस्ट की शक्ति से पर हस्ताक्षर करना।
 - 24- टुस्ट के अन्य सदस्यों/अधिकारियों का अधिन मुकदमों/मैनेजिंग टुस्टी/अवका तथा अवका के सम्पत्ति से बिना जायेगा, जो कि सबसे अनुमोद होगा।
- अवका-** मुकदमों/मैनेजिंग टुस्टी/अवका के अनुमोदन करने पर समस्त अवकाधिकारों का विवेक करना।
- सचिव :-**
- 1- समस्त संस्थाओं/मुकदमों/विभाग/सहायता से सम्बन्धित समस्त प्रश्नों पर हस्ताक्षर करना।
 - 2- टुस्ट के बैंकों की समस्त व्यवस्थाओं की शक्ति से सम्पत्ति को देना।
 - 3- बैंकों का दृष्टिकोण विवेक करना।
- अधिकार :-**
- 1- समस्त के साथ साथ का विषय जैसा करना।

शशी सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50



FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 410594

(16)

- 3- सर्वोच्च न्यायाधीश / न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका हुआ होगा।
- 3- अथवा जो अनुमोदित विधिगत होगा।
- 4- बैंक खाते का संशोधन संशुद्ध खातापत्र से होगा।
- 13- टुकट का धरोहर - टुकट कोन किसी भी वास्तविक प्रारण से संपूर्णतः बैंक में टुकट के पास में रखना आवश्यक नहीं किया जायेगा; किन्तु वास्तविक टुकटी / नोटियाँ एवं उनकी छाप नभिये अथवा जो वास्तविक प्रारण से हल हो।
- 14- टुकट के धरोहर-वाश का लेखा परिकल्प / अर्द्धित-टुकट के धरोहर-धर्य का परिकल्प / अर्द्धित किसी धरोहर अनुमोदित टुकट को से एक का प्रारण कोन; किन्तु निम्नलिखित परिकल्प टुकटी / नोटियाँ का नभिये से हल हो। का नभिये को 1 नभिये से 34 नभिये से।
- 15- टुकट के नभिये / नभियेको से नभियेको की प्रतिकल्प - टुकट के नभियेको नभियेको से नभियेको की यदि अनुमोदित अनुमोदी नभियेको से हो तो ऐसे नभियेको / नभियेको से नभियेको की नभियेको कोन नभियेको टुकटीको की नभियेको से नभियेको से जो जा नभियेको कोन ऐसे नभियेको को नभियेको नभियेको से नभियेको टुकट टुकट कोन नभियेको नभियेको नभियेको।
- 16- टुकट द्वारा धरोहर नभियेको नभियेको नभियेको से नभियेको का अनुमोदित- टुकट टुकट कोन नभियेको नभियेको नभियेको को नभियेको नभियेको टुकटी / नभियेको नभियेको नभियेको टुकट नभियेको नभियेको टुकटीको टुकटीको नभियेको।

टुकट के नभियेकोको एवं नभियेको के नभियेको को नभियेको नभियेको टुकट टुकट में नभियेको नभियेको नभियेको।

क्र. सं.	किस धरोहर / नभियेको का नाम	रकम	धरोहर	नभियेको
1	नभियेको नभियेको नभियेको नभियेको नभियेको नभियेको	नभियेको टुकटी / नभियेको	नभियेको नभियेको नभियेको नभियेको नभियेको	नभियेको नभियेको
2	नभियेको नभियेको नभियेको नभियेको नभियेको नभियेको	नभियेको	नभियेको नभियेको नभियेको नभियेको नभियेको	नभियेको

शशी सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50

FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 410595

(17)

1	श्री गणेश गिरी पु. 100 की 100 रुपया गिरी	बनारस	बनारस न्याय, अदालत, अमेरिका	बनारस न्याय
2	श्री गणेश गिरी पु. 100 की 100 रुपया गिरी	बनारस	बनारस न्याय, अदालत, अमेरिका	बनारस न्याय
3	श्री गणेश गिरी पु. 100 की 100 रुपया गिरी	बनारस	बनारस न्याय, अदालत, अमेरिका	बनारस न्याय
4	श्री गणेश गिरी पु. 100 की 100 रुपया गिरी	बनारस	बनारस न्याय, अदालत, अमेरिका	बनारस न्याय
5	श्री गणेश गिरी पु. 100 की 100 रुपया गिरी	बनारस	बनारस न्याय, अदालत, अमेरिका	बनारस न्याय
6	श्री गणेश गिरी पु. 100 की 100 रुपया गिरी	बनारस	बनारस न्याय, अदालत, अमेरिका	बनारस न्याय
7	श्री गणेश गिरी पु. 100 की 100 रुपया गिरी	बनारस	बनारस न्याय, अदालत, अमेरिका	बनारस न्याय
8	श्री गणेश गिरी पु. 100 की 100 रुपया गिरी	बनारस	बनारस न्याय, अदालत, अमेरिका	बनारस न्याय
9	श्री गणेश गिरी पु. 100 की 100 रुपया गिरी	बनारस	बनारस न्याय, अदालत, अमेरिका	बनारस न्याय
10	श्री गणेश गिरी पु. 100 की 100 रुपया गिरी	बनारस	बनारस न्याय, अदालत, अमेरिका	बनारस न्याय

1- बनारस न्याय विभाग, बनारस
पु. 100 की 100 रुपया गिरी
श्री गणेश गिरी
पु. 100 की 100 रुपया गिरी

2- बनारस न्याय विभाग, बनारस
पु. 100 की 100 रुपया गिरी
श्री गणेश गिरी
पु. 100 की 100 रुपया गिरी

श्री गणेश गिरी

398
1-11-2014

5.4
क्र. 382

[Signature]
संयोजक, प्रशासन विभाग
सं. 101
एन. सि. वि. विद्यापीठ, अहमदनगर
अहमदनगर

आवृत्त दिनांक 01/11/2014 ते
पृष्ठ क्र. 3 ते पृष्ठ क्र. 28
पृष्ठ क्र. 285 ते 248 पर्यंतचे पृष्ठे
संशोधित करावे.

संयोजक, प्रशासन विभाग
[Signature]
संयोजक, प्रशासन विभाग
एन. सि. वि. विद्यापीठ, अहमदनगर
अहमदनगर

